न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 35/2012

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
जयन्तीलाल पुत्र चेलाराम		राजस्थान राज्य जरिये नायब
2 रमेश कुमार चेलाराम जातिगण कलबी निवासीगण मारोल तहसील रेवदर जिला सिरोही		तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री कलीम अव्वल, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–20/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 25/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार रेवदर के समक्ष पटवारी हल्का मारोल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा ग्राम मारोल के खसरा नम्बर 199 रकबा 8.00 बीघा की भूमि पर कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया गया है, इस रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार रेवदर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, जो जैर अपील वादस्थ भूमि पर अपीलाण्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करता हो। यदि पुराना कब्जा था, तो प्रकरण में नियमितिकरण की

कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की जाकर विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के समक्ष दायर करवाई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट की अपील खारिज की गई। विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने पर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जा सकता है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में किसी भी स्तर पर अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जैर अपील वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेवदर के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन है। इस कारण प्रकरण रेस ज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित था, इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम मारोल के खसरा न्मबर 199 रकबा 8.00 बीघा की भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार रेवदर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना आरोपित किया तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के कारण तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम मारोल के खसरा न्मबर 199 रकबा 8.00 बीघा किस्म खा0ख0 की भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का मारोल द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में नायब तहसीलदार रेवदर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 27.04.2012 की तारीख पेशी नियत की। उक्त दिनांक को नोटिस प्रोपर तामील नहीं होने पर पुनः तामील हेतु आदेश जारी किये। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अपीलाण्ट्स से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील माना गया। इसके पश्चात दिनांक 14.05.2012 को अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा अतिक्रमण करना स्वीकार

किया। इस पर नायब तहसीलदार रेवदर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश बेदखली पारित करते हुए जुर्माना आरोपित किया तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलण्ट को तीन माह के सिविल कारवास से दण्डित करने के आदेश पारित किये गए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित कैफियत में उक्त भूमि से अपीलाण्ट्स को दिनांक 05.04.2012 को बेदखल किया जाना अंकित किया है, जिसका अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं किया गया है। जहां तक आवंटन/नियमन का प्रश्न है, तो इस हेतु नियमों में पृथक से प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की कोई प्रार्थना की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न है तथा न ही इस अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा प्रकरण संख्या 01/2012 में नायब तहसीलदार रेवदर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2012 तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व अपील संख्या 25/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2012 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही